भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 122.*

दिनांक 2.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

एन०जी०ओ० द्वारा वार्षिक विवरणी भरा जाना

†*122. श्री निशिकान्त दुबे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अभिदाय विनियमन अधिकतम, 2010 (एफ०सी०आर०ए०) के अंतर्गत विदेश से धनराशि प्राप्त करने वाले कई गैर-सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) ने वार्षिक लेखा विवरणी नहीं भरी है और यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्धारित समय-सीमा के बाद विवरणी भरे जाने के मामले भी सरकार के ध्यान में आए हैं, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये/उठाए जा रहे है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 02.12.2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 122 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण</u>

यह पाया गया है कि विदेशी निधियां प्राप्त कर रहे अनेक गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) ने अपने खातों की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं। हाल में, विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए, चूककर्ता एनजीओ/एसोसिएशनों को 10343 नोटिस जारी किए गए हैं। विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के तहत पंजीकृत ऐसे संगठन, जिन्होंने वर्ष 2009-2012 के लिए वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं, के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-। पर और वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए (आज की तारीख तक ऑन-लाइन प्रस्तुत) ब्यौरे अनुलग्नक-।। पर उपलब्ध हैं।

विदेशी अभिदाय प्राप्त कर रहे संगठनों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणियां, संबंधित वर्ष की समाप्ति से नौ-माह की अवधि के अंदर अर्थात प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। ऐसे वार्षिक लेखों को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखा-परीक्षित निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाना होता है।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 26.04.2013 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1070 (ई) (अनुलग्नक-।।।) के तहत वार्षिक विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए अर्थदण्ड (जुर्माना) लगाने की शुरुआत की है जिसमें सरकार ने प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर की निर्धारित तारीख तक वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए, तीन अलग-अलग स्तरों पर, अर्थदण्ड की राशि विनिर्दिष्ट की है। इस प्रकार, ऐसे संगठन, जो विवरणियां प्रस्तुत करने में चूक करते हैं अथवा विवरणियां प्रस्तुत नहीं करते हैं, को जुर्माना संबंधी कार्रवाई का सामना करना होगा।

लोक तारांकित प्रश्न संख्या 122

अनुलग्नक -I

एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत वे संगठन, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012 के किसी भी वर्ष के लिए एफसी-6 में वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं और जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं/किए जा रहें हैं, के संबंध में "एफसीआरए ऑनलाइन सेवा" पर उपलब्ध राज्य-वार आंकड़े

क्रम सं.	राज्य	एसोशिएसनों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7
2	आन्ध्र प्रदेश	1441
3	अरुणाचल प्रदेश	28
4	असम	130
5	बिहार	655
6	चंडीगढ़	14
7	छत्तीसगढ़	37
8	दादरा और नगर हवेली	0
9	दमण और दीव	1
10	दिल्ली	401
11	गोवा	46
12	गुजरात	379
13	हरियाणा	76
14	हिमाचल प्रदेश	47
15	जम्मू और कश्मीर	38
16	झारखंड	117
17	कर्नाटक	822
18	केरल	538
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	201
21	महाराष्ट्र	990
22	मणिपुर	291
23	मेघालय	34
24	मिजोरम	15
25	नागालैंड	56
26	ओडिशा	643
27	पुदुचेरी	15
28	पंजाब	69
29	राजस्थान	152
30	सिक्किम	10
31	तमिलनाडु	1110
32	त्रिपुरा	14
33	उत्तर प्रदेश	1167
34	उत्तराखंड	51
35	पश्चिम बंगाल	748
	कुल	10,343

लोक तारांकित प्रश्न संख्या 122

अनुलग्नक -II

एफसीआए के तहत पंजीकृत वे संगठन जिन्होने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 (आज की तारीख तक) किसी वर्ष के लिए एफसी-6 में वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं, के संबंध में "एफसीआरए ऑनलाइन सेवा" पर उपलब्ध राज्य-वार आंकड़े

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल	
		2012-2013	2013-2014
1	आन्ध्र प्रदेश	3034	4093
2	असम	265	395
3	बिहार	1325	1669
4	गुजरात	911	1463
5	केरल	890	1474
6	मध्य प्रदेश	466	662
7	तमिलनाडु	2524	3904
8	महाराष्ट्र	2314	3325
9	कर्नाटक	1465	2291
10	ओडिशा	1305	1838
11	पंजाब	133	215
12	राजस्थान	408	653
13	उत्तर प्रदेश	2243	2760
14	पश्चिम बंगाल	1670	2551
15	जम्मू और कश्मीर	88	139
16	नागालैंड	127	171
17	हरियाणा	168	235
18	हिमाचल प्रदेश	103	163
19	मणिपुर	535	648
20	त्रिपुरा	36	46
21	मेघालय	80	145
22	सिक्किम	17	24
23	दिल्ली	944	1786
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15	19
25	लक्षद्वीप	0	0
26	दादरा और नगर हवेली	14	15
27	गोवा	109	152
28	पुदुचेरी	48	79
29	चंडीगढ़	42	59
30	मिजोरम	43	57
31	अरुणाचल प्रदेश	52	63
32	छत्तीसगढ़	125	256
33	झारखंड	325	535
34	उत्तराखंड	212	362
35	दमण और दीव	1	1
कुल		**22037**	**32248**